अन्तिम डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

(civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 375/2020 उनवान शिवजी बनाम राधाकिशन

1. शिवजी पुत्र श्री माधु जाति जाट आयु लगभग 65 साल
2. गोपाल पुत्र श्री माधु, जाति जाट, आयु लगभग 58 साल
3. काना पुत्र श्री माधु जाति जाट, आयु लगभग 55 साल सर्व निवासी ग्राम गुन्दली, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. राधाकिशन पुत्र गोरधन, आयु 55 साल जाति जाट,
2. करतार पुत्र रामरतन, आयु 28 साल जाति जाट,
3. छीतर पुत्र गोरधन, आयु 62 साल जाति जाट,
4. जयपाल पुत्र रामेश्वर आयु 22 साल जाति जाट,
5. प्रधान पुत्र रामाकिशन, आयु 30 साल जाति जाट सर्व निवासी ग्राम गुन्दली, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई, अजमेर राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

•अन्तिम डिकी वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53.188 राज.का. अधि. 1955•
मुकदमा नम्बर 375/2020 उनवान शिवजी बनाम राधाकिशन
उपस्थित वकील वादी व वकील प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 11.08.2023

• आदेश •

दावा बाबत :– धारा 53,188 राज.का. अधि.1955

मुकदमा नम्बर:– 375/2020

निर्णय दिनांक:– 11.08.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में जारी बंटवारा आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.11.2022 के संबंध में वकील वादी एवं वादीगण तथा वकील प्रतिवादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा सहमति व्यक्त की गई तथा उसी क्रम में मौका कमिश्नर तहसीलदार अरांई द्वारा ग्राम गुन्दली पटवार हल्का काकलवाडा मू.अ.नि. लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान स्थित वादअधीन भूमि वर्तमान खाता संख्या 118 के खसरा संख्या 169 रकबा 3.4383 हैक्टेयर (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 ; वर्ष 2019 से स्थायी) कुल किता 01 कुल रकबा 3.4383 हैक्टेयर [illegible] वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी एवं [illegible] तथा उभयपक्षकारान द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति अनुसार अन्तिम डिकी दी गई। अतः [illegible] रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा किया जाता है उक्त बंटवारे में कमीश्नर रिपोर्ट एवम् संलग्न मान[illegible] अन्तिम डिकी का एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.27 15:48:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

अराँई (अजमेर)

तहसीलदार अरांई द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर वाद अधीन भूमि का निम्न से बंटवारा किया जाता है–

सं	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हैक्टैयर में	किस्म	लगान (रू).	रंग
1.	शिवजी पुत्र माधू, गोपाल पुत्र माधू, काना पुत्र माधू जाति जाट सा. देह खातेदार हिस्सा पूर्ण राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा अरांई	169/1	2.5356 हैक्टैयर	प.बारानी 1.0356 हैक्टैयर बा.दोयम 1.5000 हैक्ट	1.55 4.05	आसमानी नीला
		169/5	0.0431 हैक्टैयर (कुंआ)	बा.दोयम 0.0431 हैक्टे	0.12	
					5.72	
		कुलकिता 02	कुल रकबा 02.5787 हैक्टैयर			
2.	करतार पुत्र रामरतन, छीतर व राधाकिशन पुत्र गोरधन, जयपाल पुत्र रामेश्वर, प्रधान पुत्र रामकिशन जाति जाट हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा अरांई, (करतार पुत्र रामरतन का हिस्सा बिलारहन)	169/2	0.7762 हैक्टैयर	बा.दोयम 0.7762 हैक्टे	2.32	लाल
		169/3	0.0403 हैक्टैयर	बा.दोयम 0.0403 हैक्टे (गै.मु.रास्ता)	0.12	
		169/4	0.0431 हैक्टैयर (कुंआ)	बा.दोयम 0.0431 हैक्टे	0.12	
					2.56	
	कुल किता 03		कुल रकबा 0.8596 हेक्टेयर			

असप्त आज दिनांक 11.08.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
अराई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.27 15:48:11 IST
Reason: SelfAttested